न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—584 / 2011 / 223 (2011 / 00034)

1. उगमाराम पुत्र स्व0 छोटूराम, जाति बैरवा (चमार), निवासी ग्राम डांग, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नाथूलाल पण्डित पुत्र भागीरथ हरिजन, जाति हरिजन (मेहत्तर), निवासी ग्राम डांग हाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, लक्ष्मी विहार सी—कॉलोनी, कबिर आश्रम के पास, कनकपुरा, जयपुर जिला जयपुर ।
2. रतनलाल पण्डित पुत्र भागीरथ हरिजन, जाति हरिजन (मेहत्तर), निवासी ग्राम डांग, हाल निवासी मालवीय नगर, सेक्टर नं0 1, हरिजन बस्ती, जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकार, किशनगढ़, दिनांक 8.12.2011 अंतर्गत वाद संख्या 196 / 2010.

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांट।
2. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 5.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 भागीरथ पुत्र धूला, जाति हरिजन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 311 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 487 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो ग्राम डांग, तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है दिनांक 14.6.1974 को 3 / —रू0 की मुद्रांक राशि के स्टाम्प पर चार हजारी रूपये रोकड़ी देकर खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था । तब से वादी उक्त वादग्रस्त आराजियात पर 40—50 वर्षो से काबिज काश्त है । खसरा गिरदावरी संवत् 2018 व संवत् 2031 से 2034 में वादी की काश्त अंकित है । उक्त भूमि पर वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी ने वादग्रस्त आराजियात पर चने की फसल बोने गया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.11.2010 को आकर वादी कहा कि हमारे हमारे पिता ने जमीन बेची है, हमने नहीं बेची है जो हम वर्णित

आराजी को बेचान कर देगें एवं आपका कब्जा हटवा देंगे । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2011 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 भागीरथ पुत्र धूला, जाति हरिजन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 311 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 487 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो ग्राम डांग, तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है दिनांक 14.6.1974 को 3/–रू0 की मुद्रांक राशि के स्टाम्प पर चार हजारी रूपये रोकड़ी देकर खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था । तब से वादी उक्त वादग्रस्त आराजियात पर 40–50 वर्षो से काबिज काश्त है । अपीलांट का विवादित आराजियात पर निरन्तर कब्जा काश्त होने से भी राज0काश्त0अधि0 की धारा 63 के तहत रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है । अपीलांट ने अपने वाद को साबित करने के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष स्वतंत्र गवाह एवं मूल जोत पासबुक एवं गिरदावरियों तथा इकरार तहरीर पेश की थी जिससे विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट के संपूर्ण तथ्यों को स्वीकार करने के बावजूद केवल मात्र इस आधार पर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है कि वादी विवादित आराजियात पर अपना कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहा है अधी0न्याया0 का यह निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल की नजीरें आर0आर0डी0 2008 पार्ट–1 पेज 148 हजनुमानराम बनाम श्रवण कुमार में डी0बी0 द्वारा पारित निर्णय की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि मान0 मण्डल ने उक्त नजीर के निर्णय में बैचान इकरारनामा के आधार पर वादी को डिक्री किया है । उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में भी वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के वाद के विरूद्ध ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ एवं रेस्पो0 संख्या 3 भूधारक का भी किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं हुआ इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने आनन–फानन में वादी के वाद को बिना आधार के खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.12.2011 निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 के पिता द्वारा विवादित भूमि का कभी भी अपीलांट को बेचान नहीं किया गया है न ही विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त ही है । अपीलांट ने बेचान का जो 3/–रू0 का स्टाम्प पेश किया है वह अपंजीकृत है तथा 100/–रू0 से अधिक की सम्पति के हस्तातंरण का पंजीकृत होना

आवश्यक है । अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादी को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 भागीरथ पुत्र धूला, जाति हरिजन से दिनांक 14.6.1974 को क्रय करने का कथन किया तथा उक्त क्रय के संबंध में 3/–रू0 के स्टाम्प पर निष्पादित लिखावट की प्रति भी पेश की है साथ ही विवादित आराजियात पर क्रम दिनांक से लगभग 30–40 वर्षो से काबिज काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे है जिससे वे भी अपना जवाब एवं साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद निर्णित करने हेतु वाद में किसी प्रकार की तनकियात कायम नहीं की है एवं न ही वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया है जबकि आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार वाद को तनकीवार निर्णित करना आज्ञापक है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को विवेचन, विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याय0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य पाया जाता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाया जाता है तथा हम अधी0न्याया0 द्वारा वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 8.12.2011 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर, वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर